स्तरीय परिचालन कार्य प्रणाली (एस0ओ0पी0) के मुख्य बिन्दु का विवरण।

- दुर्घटना की सूचना तत्काल यू0पी0 100 एवं विभागीय हेल्पलाइन नम्बर 1800–180–2877 तथा प्रधान प्रबन्धक (दुर्घटना) को मोबाइल पर एवं विभागीय व्हॉट्स ऐप ग्रुप (दुर्घटना प्रकोष्ठ) में देंगे।
- फैटल दुर्घटनाओं को दुर्घटना क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक द्वारा अटैण्ड की जायेगी।
- दुर्घटना मे मृत्यु एवं घायल यात्रियों को तत्काल आर्थिक सहायता घटित क्षेत्र एवं स्थान के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- चालक/परिचालक घायल यात्रियों के लिये ऐम्बुलेंस (108) को तुरन्त बुलायेंगे।
- चालक/परिचालक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट निकटतम थाने में तत्काल दर्ज करायी जायेगी।
- दुर्घटना के उपरान्त चालक का मेडिकल टेस्टअप तत्काल कराया जाना अनिवार्य होगा।
- दुर्घटना में दोषी पाये जाने पर नियमित चालक को निलम्बित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही एवं संविदा चालक की संविदा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाये।
- चालक को इमरजेन्सी रिस्पान्स सिस्टम यू0पी0 100 से शिक्षित कराया जाये।
- कार्यशाला से बस आउटशेडिंग से पूर्व बस की यान्त्रिक स्थिति एवं चालक का ब्रेथ एनालाईजर से परीक्षणोपरान्त डियूटी पर भेजना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।
- बस को कार्यशाला से संचालन हेतु भेजने से पूर्व बस का आपातकालीन द्वार का परीक्षण गम्भीरता से किया जाये एवं निगम की सभी ए0सी0 बसों में आकस्मिक अवस्था में शीशा तोड़ने हेतु हथौड़ा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करायी जाये।
- दुर्घटना की सूचना विलम्ब से देने पर संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक एवं डिपो प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(जयदीप वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्राविधिक)

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)